# मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

PBX (0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: it_mppcb@rediffmail.com


क्रमांक /स्था.शाखा/मुप्रनिबो/2021, भोपाल, दिनांक / /2021

## //आदेश//

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा परिसंकटमय अपशिष्टों के परिवहन हेतु वर्ष 2005 में बनाई गई मार्गदर्शिका राज्य बोर्ड की 129 वीं बैठक दिनांक 28/8/2012 में अनुमोदन उपरांत आदेश दिनांक 12/11/2012 से प्रदेश के उद्योगों हेतु लागू की गई है।

उक्त मार्गदर्शिका अनुसार परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ठ (प्रंबधन, एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के अन्तर्गत प्रदेश में परिसंकटमय अपशिष्टों के परिवहनकर्ताओं द्वारा लिये जाने वाले प्राधिकार हेतु मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 5-5/2009/32 भोपाल दिनांक 26 जून, 2018 के पैरा-3 अनुसार प्रशासकीय शुल्क रूपये 5.00 लाख निर्धारित किया गया है ।

परिसंकटमय अपशिष्टों के परिवहनकर्ताओं द्वारा पुराने वाहन बदलने संबंधी पूर्व से जारी प्राधिकार पत्र में संशोधन संबंधी आवेदन हेतु पृथक से प्रशासकीय शुल्क देय नहीं होगा ।

( ए. ए. मिश्रा )
सदस्य सचिव

कमांक 627 /स्था.शाखा/मुप्रनिबो/2021, भोपाल, दिनांक 20 APR 2021

प्रतिलिपि :-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. समस्त शाखा प्रभारी/ आँचलिकअधिकारी/ क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. शाखा, मध्य प्रदेश प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. वित्त अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।